

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला

मुकाम खाजूवाला

रामकुमार

बनाम

इन्द्राज वगै.

किस्म मुकदमा :-प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट
व 2017/00003

मु.नं. एवं सन 22/17

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
17.02.20	<p>पत्रावली पे 1 हुई। पत्रावली पूर्व फर्द अहकाम आदे 1 दिनांक 29.11.19 की पालना में वकील वादी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और ना ही वादीगण स्वयं या वकील वादी उपस्थित आये। वादीगण व वकील वादीगण को उपस्थित हेतु सरे इजलास आवाजे लगाई गई। बार-बार आवाज लगवाने पर भी वकील वादी उपस्थित नहीं आये। अतः वादपत्र आदे 1 की अवहेलना एवं अदम-पैरवी अदम-हाजरी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फौल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p>	